

वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से  
डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 39 ]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 28 सितम्बर, 2018-आश्विन 6, शके 1940

### भाग 3 ( 1 )

#### विज्ञापन

##### नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण के सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है कि मेरे अवयस्क पुत्र की भारतीय जीवन बीमा निगम की पॉलिसी नं. 202376376 में घरू नाम रितिक मिश्रा पुत्र श्री सुरेन्द्र कुमार मिश्रा, जन्म दिनांक 30 जनवरी, 2000 त्रुटिवश अंकित हो गया है, जबकि उसका सही नाम शुभ मिश्रा (Shubh Mishra) पुत्र श्री सुरेन्द्र मिश्रा, जन्म दिनांक 30 जनवरी, 2001 है जो कि उसके सभी शैक्षणिक दस्तावेजों, आधार कार्ड में अंकित है। भविष्य में उसे सही नाम शुभ मिश्रा पुत्र श्री सुरेन्द्र मिश्रा के नाम से ही जाना, पहचाना जावे.

सुरेन्द्र मिश्रा,

13/91, प्रभु कुंज, गंज,

फोर्ट रोड, ग्वालियर (म.प्र.).

(515-बी.)

##### उप-नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, मोहित साहू पुत्र श्री चन्द्रभान साहू, निवासी छतरपुर अपना उपनाम साहू के स्थान पर राठौर करवाना चाहता हूँ. अतः मुझे मोहित राठौर पुत्र श्री चन्द्रभान राठौर के नाम से सामाजिक एवं शासकीय दस्तावेजों में जाना जावे.

पुराना नाम :

( मोहित साहू )

(506-बी.)

नया नाम :

( मोहित राठौर )

पुत्र-चन्द्रभान राठौर.

##### नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है. कि मेरे बचपन का बोलता नाम बन्टी राठौर है. जो कि मेरे बैंक खाते में दर्ज है. जबकि मेरे सभी शासकीय/अर्धशासकीय प्रपत्रों जैसे-पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस इत्यादि में मेरे नाम चन्द्रभान राठौर है. वर्तमान में मैं, चन्द्रभान राठौर के नाम से जाना, पहचाना एवं पुकारा जाता हूँ तथा भविष्य में भी मैं चन्द्रभान राठौर के नाम से ही जाना, पहचाना

एवं पुकारा जाऊंगा तथा हस्ताक्षर भी इसी नाम से करता रहूंगा. बन्टी राठौर एवं चन्द्रभान राठौर एक ही व्यक्ति के नाम है. अतः मेरे बैंक खाते एवं अन्य प्रपत्रों में मेरे बचपन के नाम बन्टी राठौर के स्थान पर चन्द्रभान राठौर किया जायें. आमजन एवं सर्वजन सूचित हो.

पुराना नाम :

( बन्टी राठौर )

(508-बी.)

नया नाम :

( चन्द्रभान राठौर )

हेमसिंह की परेड, गली नं.  
लशकर, ग्वालियर.

### नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैंने अपना नाम रिषभ गुप्ता (Rishabh Gupta) से बदलकर नया नाम देव गुप्ता (Dev Gupta) रख लिया है. मुझे भविष्य में सभी शासकीय एवं अर्द्धशासकीय कार्यों एवं दस्तावेजों में मुझे नये नाम देव गुप्ता के नाम से ही जाना एवं पहचाना जाये एवं उपयोग किया जाये.

पुराना नाम :

( रिषभ गुप्ता )

(509-बी.)

नया नाम :

( देव गुप्ता )

पुत्र-श्री महेन्द्र कुमार गुप्ता,  
एफ-160, फ्लेट नं. 102, सृष्टि अपार्टमेंट,  
हरीशंकरपुरम् झाँसी रोड, ग्वालियर (म.प्र.).

### नाम परिवर्तन

मेरा नाम खुशबु जोशी पिता श्री गजेन्द्र जोशी था मैंने सेंट जोसफ, हायर सेकण्डरी गुरू तेग बहादुर स्कूल, रतलाम से पढ़ाई करी थी. मेरी शादी के पूर्व मेरे शासकीय/अर्द्धशासकीय रिकार्ड में मेरा नाम खुशबु जोशी पिता श्री गजेन्द्र जोशी चला आ रहा है. मेरी शादी होने के बाद मेरा नाम आहना जैन पति श्री वैभव जैन हो गया है तथा मेरा आधार कार्ड, मतदाता निर्वाचन कार्ड शादी के बाद के नाम से है.

मैं, खुशबु जोशी पिता श्री गजेन्द्र जोशी व आहना जैन पति वैभव जैन नाम की एक ही महिला हूँ अब मुझे आहना जैन पति श्री वैभव जैन के नाम से जाना, पहचाना जाता है एवं भविष्य में भी इसी नाम से जाना, पहचाना जावे. इस संबंध में किसी को आपत्ति हो तो एक-सप्ताह की अवधि में सूचित करें.

पुराना नाम :

( खुशबु जोशी )

पिता-श्री गजेन्द्र जोशी.

(510-बी.)

नया नाम :

( आहना )

पति-श्री वैभव जैन,  
निवासी-293/18, समाजवादी इंद्रा नगर, इन्दौर.

### नाम परिवर्तन

मैं, श्रीमती गिरजा यादव सर्व-साधारण को सूचित करती हूँ कि मेरा नाम सभी शासकीय एवं शैक्षणिक प्रपत्रों में अंकित है. जबकि मेरे अन्य प्रपत्र एवं एल.आई.सी. पॉलिसी में मेरा नाम भूलवश गुडडन यादव अंकित हो गया है. वर्तमान में श्रीमती गिरजा यादव पत्नी श्री अंगद सिंह यादव के नाम से ही जानी, पहचानी एवं पुकारी जाती हूँ और भविष्य में भी मैं इसी नाम से जानी, पहचानी एवं पुकारी जाऊँगी तथा हस्ताक्षर भी करती रहूँगी, श्रीमती गिरजा यादव एवं गुडडन यादव एक ही व्यक्ति के नाम है. अतः मेरे अन्य प्रपत्र एवं एल.आई.सी. पॉलिसी में मेरा नाम गुडडन यादव के स्थान पर श्रीमती गिरजा यादव किया जाये. सर्वजन एवं आमजन सूचित हो.

पुराना नाम :

( गुडडन यादव )

(513-बी.)

नया नाम :

( गिरजा यादव )

एम.एच.चौराहा, गली नं.2,  
मुरार, ग्वालियर.

### नाम परिवर्तन

मैं, राजू नामदेव सर्व-साधारण को सूचित करता हूँ कि मेरा बचपन का नाम राजेन्द्र कुमार नामदेव था जो कि मेरी शैक्षणिक एवं एल.आई.सी. पॉलिसी इत्यादि प्रपत्रों में अंकित है जबकि मैं, राजू नामदेव के नाम से जाना, पहचाना एवं पुकारा जाता हूँ तथा मेरे

शासकीय/अर्द्धशासकीय एवं अन्य प्रपत्रों में मेरा नाम राजू कुशवाह अंकित है तथा वर्तमान में राजू नामदेव के नाम से ही जाना, पहचाना एवं पुकारा जाता हूँ और भविष्य में भी राजू नामदेव के नाम से ही जाना, पहचाना एवं पुकारा जाऊँगा तथा हस्ताक्षर भी इसी नाम से करता रहूँगा. अतः मेरे एल.आई.सी. पॉलिसी/शैक्षणिक एवं अन्य प्रपत्रों में मेरा नाम राजू नामदेव अंकित किया जाये. आमजन एवं सर्वजन सूचित हों.

पुराना नाम :

( राजेन्द्र कुमार नामदेव )

(514-बी.)

नया नाम :

( राजू नामदेव )

सिंघलपुरा, मोहना, जिला ग्वालियर.

**नाम परिवर्तन**

मैं, पंकज कुशवाह सर्वसाधारण को सूचित करता हूँ कि मेरा नाम शासकीय प्रपत्र सी.डी.सी. नं. MUM-147696 में भूलवश पंकज सिंह कुशवाह अंकित हो गया है जबकि मेरे सभी शैक्षणिक एवं अन्य शासकीय/अर्द्धशासकीय प्रपत्रों में मेरा नाम पंकज कुशवाह अंकित है वर्तमान में पंकज कुशवाह के नाम से ही जाना, पहचाना एवं पुकारा जाता हूँ और भविष्य में भी इसी नाम से जाना जाऊँगा तथा हस्ताक्षर भी करता रहूँगा, पंकज सिंह कुशवाह एवं पंकज कुशवाह एक ही व्यक्ति के नाम है. अतः मेरे सी.डी.सी. नं. MUM-147696 में मेरा नाम पंकज सिंह कुशवाह के स्थान पर पंकज कुशवाह किया जाये. आमजन एवं सर्वजन सूचित हो.

पुराना नाम :

( पंकज सिंह कुशवाह )

(507-बी.)

नया नाम :

( पंकज कुशवाह )

डी-4 पीताम्बरा स्टेट, इन्द्रमणी नगर,  
गोले का मंदिर, ग्वालियर.**CHANGE OF NAME**

It is to inform all that I [ Aditya Kumar Shukla S/o Brajesh Shukla, am a resident of Prathviraj Marg, Main Road, 234- baldev colony, Morar, Gwalior (Madhya Pradesh). My name on the 10th class marksheet cum certificate is recorded as "Aditya Kumar Shukla" whereas on 12th class marksheet and B.E. degree/mark sheets affiliated from RGPV it is mentioned "Aditya Shukla". Aditya Kumar Shukla and Aditya Shukla both are the names of only one person. Henceforth, I, hereby solemnly affirm that I am called and recognised as "Aditya Kumar Shukla" and shall be known as "Aditya Kumar Shukla" Which will reflect in all the future references related to my personal identity and be read as the same.

Old Name:

( ADITYA SHUKLA )

(519-B.)

New Name :

( ADITYA KUMAR SHUKLA )

Prathviraj Marg, Main Road, Morar.

**नाम परिवर्तन**

मैं, श्रीमती पूनम वीधानी सूचित करती हूँ कि मेरा विवाह दिनांक 04-06-1995 को हिन्दू रीति-रिवाज के अनुसार श्री इश्वरलाल वीधानी के साथ सम्पन्न हुआ था विवाह के पूर्व मेरा नाम कु. देवी आसुदानी पुत्री श्री शौकत राय आसुदानी था. जो कि विवाह के पूर्व सभी दस्तावेजों में दर्ज है. रीति-रिवाज के अनुसार विवाह उपरान्त मेरा नाम श्रीमती पूनम वीधानी पत्नी श्री इश्वरलाल वीधानी हो गया है. वर्तमान में मैं, इसी नाम से जानी-पहचानी एवं पुकारी जाती हूँ तथा भविष्य में भी इसी नाम से अर्थात् श्रीमती पूनम वीधानी पत्नि श्री ईश्वरलाल वीधानी के नाम से पहचानी जाऊँगी. सर्वजन एवं आमजन को सूचित हो.

पुराना नाम :

( कु. देवी आसुदानी )

(520-बी.)

नया नाम :

( पूनम वीधानी )

के-8 इन्द्रप्रस्थ सनसिटी कॉलोनी, ऐयरपोर्ट रोड,  
लालघाटी, भोपाल.**नाम परिवर्तन**

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री कु. हर्षितादत्त धौलाखण्डी के शैक्षणिक रिकार्ड में मेरा नाम शैलेषदत्त धौलाखण्डी एवं माता का नाम श्रीमती चारू दत्त धौलाखण्डी अंकित है जबकि मेरी पुत्री कु. हर्षितादत्त शर्मा पुत्री श्री शैलेषदत्त शर्मा एवं

माता का नाम श्रीमती चारू शर्मा करवाना चाहते हैं. अतः भविष्य में सभी सरकारी व अन्य सभी दस्तावेजों में मेरी पुत्री हर्षितादत्त शर्मा पुत्री शैलेशदत्त शर्मा व माता का नाम श्रीमती चारू शर्मा के नाम से ही जाना, पहचाना, पढ़ा व लिखा जावे.

( शैलेशदत्त शर्मा )

S/o भवानी दत्त शर्मा,  
माता का नाम-श्रीमति चारू शर्मा,  
निवासी-खिड़की मौहल्ला, पो. ओ. लोहामंडी,  
किलागोट, ग्वालियर ( म. प्र.).

(523-बी.)

### CHANGE OF NAME

I Guneet Kaur Chhabra D/o Daljeet Singh Chhabra is resident of 1282, madanmahal, Gupteshwar Road jabalpur 482001. My Name is Guneet Kaur Chhabra but by mistake in records my name was mentioned as SIMAR KAUR. In all other records my name is mentioned as Guneet Kaur Chhabra. So, my name be treated as GUNEET KAUR CHHABRA.

Old Name:

( SIMAR KAUR )

New Name :

( GUNEET KAUR CHHABRA )

(521-B.)

### CHANGE OF NAME

This is to inform publicly that, I Dhudan, Guddadha khan S/o Riyaz Khan, (धूडन, गुड्डाद्ध खान पिता रियाज खान) Resident of House No. 18/1, Rajeev Gandhi Nagar, Near Water Tank, Cantt., Sadar, Jabalpur, Madhya Pradesh, do hereby solemnly affirm and declare as under. I state that in my Government Service record at Nagar Nigam, jabalpur, other Government issued Identity Cards, other concern documents my name was mistakenly written as Dhudan, Guddadha khan S/o Riyaz Khan, which is incorrect. My Correct Name is Shamim Khan, S/o Najir Khan (शमीम खान, पिता नजीर खान). I am changing the name to Shamim Khan S/o Najir Khan in my Service, Government and other concern records.

Henceforth, from this date My Name Shamim Khan, S/o Najir Khan should be should be read, write and recorded in my Government Service Record at Nagar Nigam, Jabalpur, Government Issued Identity Cards and all other documents in future.

Old Name:

( DHUDAN, GUDDADHA KHAN )

S/o Riyaz Khan.

New Name :

( SHAMIM KHAN )

S/o Najir Khan.

(525-B.)

### नाम परिवर्तन

मैं, शिव कुमार पाराशर आत्मज श्री जय सिंह शर्मा आयु-वयस्क शपथपूर्वक कथन करता हूँ कि मेरी पुत्री कु. क्षमा पाराशर पुत्री श्री शिव कुमार पाराशर है जो कि नाम बदलकर कुमारी अनन्या पाराशर पुत्री श्री शिव कुमार पाराशर रखना चाहता हूँ भविष्य में मेरी पुत्री कुमारी अनन्या पाराशर के नाम से जाना व पहचाना जावे.

अतः मेरे द्वारा दी गई जानकारी सही एवं सत्य है.

( शिव कुमार पाराशर )

पुत्र-श्री जय सिंह शर्मा,  
निवासी-मकान नं.-जी 10, दानिशा नगर,  
चिनार ग्लोरी, भोपाल ( म. प्र.).

(526-बी.)

**जाहिर सूचना**

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि "मे. ए. एस. कन्स्ट्रक्शन" खण्डवा का दिनांक 01-08-2013 को निर्माण किया गया था. जिसमें निम्न भागीदार थे. 1. अभिषेक मिश्रा पिता श्री अशोक मिश्रा, उम्र 34 साल, पता-15, जसवाड़ी रोड, माता चौक, खण्डवा एवं 2. मोहम्मद सोहराब पिता श्री मोहम्मद ईशाक, उम्र 66 वर्ष, पता 83, रामेश्वर नगर, खण्डवा. यह कि दिनांक 31-05-2018 को एक भागीदार श्री मोहम्मद सोहराब पिता श्री मोहम्मद ईशाक ने रिटायरमेंट ले लिया एवं 1 जून, 2018 से फर्म में बराबरी के नये पार्टनर-1. श्री ओम प्रकाश मिश्रा पिता श्री विरेंद्र मिश्रा उम्र 35 साल, पता 15, जसवाड़ी रोड, माता चौक, खण्डवा रहेंगे. अतः दिनांक 01-06-2018 से फर्म के भागीदार इस प्रकार रहेंगे 1. श्री अभिषेक मिश्रा पिता श्री अशोक मिश्रा एवं 2. श्री ओम प्रकाश मिश्रा पिता श्री विरेंद्र मिश्रा फर्म का मुख्य पता दिनांक 01-06-2018 से इस प्रकार रहेगा प्लॉट नं. 14, श्री भगवती एग्रो के पास, गुलमोहर कॉलोनी, पंधाना रोड, खण्डवा (म.प्र.) 450001. सो सूचना जानें

वास्ते ए. एस. कन्स्ट्रक्शन,  
**अभिषेक मिश्रा,**  
(पार्टनर).

(511-बी.)

**आम सूचना**

यह पब्लिक नोटिस प्रकाशित किया जा रहा है जिसके अनुसार फर्म मेसर्स पी. पी. राठौर एण्ड कम्पनी 48, सूर्या हाउस न्यू. ए. पी. एम. एल. ए. कॉलोनी, जवाहर चौक, भोपाल की भागीदारी फर्म में से निम्नलिखित साझेदार दिनांक 31-03-2018 से अलग हो गये हैं.

1. श्री मुकेश राठौर पुत्र स्व. श्री भगवानदास राठौर.
2. श्री निर्मल सिंह राठौर पुत्र श्री मुकेश राठौर.
3. श्रीमति हिना राठौर पुत्री श्री के राठौर.

यह पब्लिक नोटिस जनहित के उपलक्ष्य में प्रकाशित किया गया है.

पी. पी. राठौर एण्ड कम्पनी,  
**पंकज राठौर,**  
(पार्टनर)  
48, सूर्या हाउस  
जवाहर चौक, भोपाल.

(512-बी.)

**आम सूचना**

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स जय माता की कन्स्ट्रक्शन कम्पनी, भरहुत नगर, सतना दिनांक 28-09-2018 से फर्म के भागीदार दिलीप कुमार मिश्रा एवं संदीप तिवारी को फर्म से पृथक् किया जाता है. उक्त दिनांक से फर्म के नये भागीदार प्रियम् मिश्रा व सचिन मिश्रा को शामिल किया जाता है. उक्त दिनांक से फर्म से पृथक् किये गये भागीदारों का कोई लेना-देना नहीं रहेगा. अब उक्त फर्म में मृदुला तिवारी (मिश्रा), प्रियम् मिश्रा, सचिन मिश्रा व गया प्रसाद द्विवेदी फर्म के भागीदार हैं. इस संबंध में यदि किसी को कुछ कहना है तो तीन दिवस के अन्दर सूचित करें.

जय माता की कन्स्ट्रक्शन कम्पनी,  
**मृदुला मिश्रा,**  
सतना (म.प्र.).

(516-बी.)

**PUBLIC NOTICE**

Change Details :- One Partner Smt. Kiran Verma W/o Mr. M.K. Verma has been retired from 31-03-2016 and one partner Mr. Abhishek Geharwar S/o Shri Amanjeet Singh Gehanwar became partner of the firm from 31-03-2016 Remaining partner i.e. Mr. Gopal Biswas and new admitted partner carry on the business namely M/s Gopal Biswas Labour Contractor at Nurabad, Subhash Colony, Morena-476001.

For M/s Gopal Biswas Labour Contractor,  
**GOPAL BISWAS,**  
(Partner).

(517-B.)

### आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मैसर्स पीताम्बरा ग्रीट इण्डस्ट्रीज स्थित कृष्णा बिहार, थाटीपुर, ग्वालियर जिसका पंजीयन क्रमांक 02/42/01/00149/09, दिनांक 15-01-2009 है। जिसमें दिनांक 29-12-2017 को भागीदार श्री रामनिवास गर्ग पुत्र श्री श्यामलाल गर्ग, निवासी बारी, जिला धोलपुर (राजस्थान) की मृत्यु हो जाने से पृथक् हो गये हैं। आमजन एवं सर्वजन सूचित हों।

फर्म मैसर्स पीताम्बरा ग्रीट इण्डस्ट्रीज  
नरेश कुमार गर्ग,  
(भागीदार)  
कृष्णा बिहार, थाटीपुर, ग्वालियर.

(518-बी.)

### आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मैसर्स बालाजी स्टोन कम्पनी स्थित परासरी, जिला दतिया जिसका पंजीयन क्रमांक 02/39/01/00153/06, दिनांक 27-02-2006 है। जिसमें दिनांक 18-09-2018 से भागीदार (1) कामिनी चौबे पत्नि सत्य मोहन चौबे, (2) सुंदरी बेवा रतना आदिवासी, (3) श्रीमती जयदेवी पाठक पत्नि श्री महेश दत्त पाठक अपनी स्वेच्छा से फर्म से पृथक् हो गये हैं तथा 18-09-2018 (1) श्रीमति रिंकी सिंह पत्नी श्री अनिल सिंह यादव, निवासी 176, वार्ड क्र. 63, ग्राम गंगामालनपुर, तहसील व जिला ग्वालियर, (2) श्रीमती ज्योति राय पत्नी श्री रघुवीर राय, निवासी 44 पी. एच. ई. कॉलोनी, मोतीझील, ग्वालियर, (3) श्री रघुवीर राय पुत्र श्री गिरधारी राय, निवासी 33 पी. एच. ई. कॉलोनी, मोतीझील, ग्वालियर फर्म में नवीन भागीदार के रूप में सम्मिलित हो रहे हैं। आमजन एवं सर्वजन सूचित हों।

मैसर्स बालाजी स्टोन कम्पनी,  
कस्तूरी,  
(भागीदार)  
परासरी, जिला दतिया.

(522-बी.)

### आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मैसर्स ईगल एसोसियेट्स बिल्डर्स एण्ड कॉन्ट्रैक्टर्स स्थित गोवर्धन कॉलोनी, गोले का मंदिर, ग्वालियर जिसका पंजीयन क्रमांक 35, दिनांक 03-10-2000 है। जिसमें दिनांक 20-12-2001 से राजेश सिंह कुशवाह पुत्र श्री ए. एस. कुशवाह अपनी स्वेच्छा से फर्म से पृथक् हो गये हैं एवं 01-04-2009 को भागीदार श्री महेन्द्र सिंह तोमर पुत्र श्री आर. एस. तोमर, निवासी शंकरपुरी, गोवर्धन कॉलोनी, गोले का मंदिर, ग्वालियर अपनी स्वेच्छा से फर्म से पृथक् हो गये हैं एवं इसी दिनांक 01-04-2009 से श्री रामवरन सिंह जादोन पुत्र श्री कप्तान सिंह जादौन, निवासी ग्राम हथियारा, तहसील सुमावली, जिला मुरैना फर्म में नवीन भागीदार के रूप में सम्मिलित हो गये हैं। सर्वजन एवं आमजन सूचित हों।

फर्म ईगल एसोसियेट्स बिल्डर्स एण्ड कॉन्ट्रैक्टर्स,  
बृजेश सिंह,  
(भागीदार)  
गोवर्धन कॉलोनी, गोले का मन्दिर,  
ग्वालियर (म.प्र.).

(524-बी.)

### आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मैसर्स आकार कॉन्ट्रैक्टर्स एण्ड इंजीनियर्स स्थित 213/2सी, साकेत नगर, भोपाल जिसका पंजीयन क्रमांक 01/01/01/00151/13 दिनांक 27-06-2013 है। जिसमें दिनांक 23-07-2018 को भागीदारी (1) श्री बलजीत सिंह सलूजा पुत्र श्री एच. एस. सलूजा (2) श्री राहुल सिंह मुजाल्दे पुत्र श्री एस. एस. मुजाल्दे, निवासीगण भोपाल अपनी स्वेच्छा से फर्म से पृथक् हो गये हैं एवं इसी दिनांक 23-07-2018 से (1) श्री नीरज बिलगैया पुत्र श्री राकेश बिलगैया, निवासी न्यू मार्केट, टीकमगढ़ (2) श्रीमती पूनम बिदुआ पुत्री श्री बिजेन्द्र द्विवेदी निवासी तिरूपति अभिनव होम्स, अयोध्या बाईपास रोड, दामखेड़ा, भोपाल फर्म में नवीन भागीदार के रूप में सम्मिलित हो गये हैं तथा इसी दिनांक 23.07.2018 से फर्म का नवीन पता-201, कामर्शियल कॉम्पलेक्स, सागर लेण्डमार्ग, अयोध्या बाईपास रोड, दामखेड़ा, भोपाल, म. प्र. हो गया है। आमजन एवं सर्वजन सूचित हों।

फर्म आकार कॉन्ट्रैक्टर्स एण्ड इंजीनियर्स,  
निकेश बिलगैया,  
(भागीदार).  
भोपाल.

(499-बी.)

## निविदा सूचनाएं

भोपाल, दिनांक 20 सितम्बर, 2018

### निविदा सूचना

क्र. जी. बी./चार(22)2017-18/2377.—ऑनलाईन ई-टेंडरिंग वेबसाईट [www.mpeproc.gov.in](http://www.mpeproc.gov.in) में लिफाफा निर्माताओं से विधानसभा निर्वाचन, 2018 के 1,00,000 काले लिफाफों के मुद्रण, बाइंडिंग कर प्रदाय हेतु 80 जीएसएम. के मेपलिथो पेपर सहित मुद्रण, बंधन एवं प्रदाय की समस्त कर सहित प्रति हजार की दरें की-डेट्स अनुसार आमंत्रित की जाती हैं. सीमित निविदा दिनांक 28-09-2018 को अपराह्न 04.00 बजे उपस्थित निविदाकारों/उनके अधिकृत प्रतिनिधियों के समक्ष पोर्टल से डाउनलोड की जावेगी.

ऑनलाईन निविदा की हार्डकॉपी, पेपर नमूनें अभिप्रमाणित हस्ताक्षर सहित, शर्तों पर सहमति हस्ताक्षर सहित, की-डेट्स अनुसार कार्यालय में प्रस्तुत करेंगे.

सूचना, तकनीकी विवरण, नियम एवं शर्तों को वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) पर भी रखा गया है.

(1081)

Bhopal, Dated 20<sup>th</sup> September, 2018

### TENDER NOTICE

No. GB-IV-Paper/(22)2017-18/2377.—ONLINE Bidding are invited on [www.mpeproc.gov.in](http://www.mpeproc.gov.in) from the Envelopes making unit for the supply of 1,00,000 Black Envelopes for the Vidhan Sabha Election 2018. Rates are including 80 GSM Maplitho Paper, Printing, Binding and Other charges per thousand envelopes with all taxes are invited as per key dates. The Envelope of Hard Copy and downloading of E-tender documents on 28-09-2018 at 04:00 P.M. in the Office of the undersigned in the presence of such tenders or their authorised representative as may be present.

2. In all respects complete Hard Copy of tender document certified Paper Sample, acceptance of tender condition must be received at the office of the undersigned as per key dates.

3. Tender Notice and conditions of tender with technical details are also available at website [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) and for Online Bidding go through website [www.mpeproc.gov.in](http://www.mpeproc.gov.in)

**ARUN KUMAR TOMER,**

Controller,

Govt. Printing and Stationery,

Madhya Pradesh, Bhopal.

(1081-A)

## विविध

### न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक लोक न्यास, राजपुर, जिला बड़वानी

रा.प्र.क्र. 2/बी/113/2017-18.

फार्म नंबर 4

[ नियम-5 ( 1 ) देखिए ]

[ मध्य प्रदेश लोक न्यास 1951 ( 1951 की 30 ) की धारा-5 की उपधारा (2) और

मध्य प्रदेश लोक न्यास, 1962 का नियम-5 (1) देखिए ]

पंजीयक लोक न्यास, बड़वानी जिले के समक्ष:-

चूंकि "श्री साईं धाम सेवा संस्थान ट्रस्ट ठीकरी" जिला बड़वानी ने मध्य प्रदेश लोक न्यास 1951 (1951 का 30) की धारा-4 के अधीन अनुसूची में लोक न्यास की तरह विनिर्दिष्ट की गई सम्पत्ति के पंजीयन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है.

कोई व्यक्ति जो उक्त न्यास या सम्पत्ति में हित रखता है तो उसके बारे में की गई आपत्तियों या सुझाव देने का विचार रखता है तो इस सूचना के द्वारा सूचित किया जाता है कि “ श्री साईं धाम सेवा संस्थान ट्रस्ट, ठीकरी ” सेवा संस्थान ट्रस्ट एक लोक न्यास है और उसका गठन करती है.

अतः मैं, पंजीयक, लोक न्यास, जिला बड़वानी का लोक न्यासों का पंजीयन अपने न्यायालय में नियत दिनांक को उक्त अधिनियम की धारा-5 की उपधारा (1) के द्वारा तथा अपेक्षित जांच करना प्रस्थापित करता हूँ.

अतः एतद् द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास या सम्पत्ति का कोई न्यासधारी या कार्यकारी न्यासधारी या उसमें हित रखने वाले और किसी आपत्ति का सुझाव प्रस्तुत करने का विचार रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से 01 माह (एकमाह) के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करता है और कोर्ट में मेरे समक्ष उपरोक्त दिनांक को या तो व्यक्तिशः या अभिभाषक या अभिकर्ता के द्वारा उपस्थित होना चाहिए. उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिए ग्रहण नहीं किया जावेगा.

(1079)

वीरसिंह चौहान,  
अनुविभागीय अधिकारी.

## अन्य सूचनाएं

### कार्यालय उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ, जिला उज्जैन

उज्जैन, दिनांक 29 अगस्त, 2018

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी, अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के अंतर्गत]

संशोधित आदेश

क्र./परि./2018/1576.— चापानेर बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., चापानेर जिसका पंजीयन क्रमांक 2165 दिनांक 20 अगस्त, 2015 आदेश क्रमांक/परि.3562 दिनांक 08 अक्टूबर, 2016 से परिसमापन में लाया जाकर श्री संजय देवलालीकर, उप अंकेक्षक को परिसमापक नियुक्त किया गया था. कार्यालयीन आदेश क्रमांक परिसमापन/2017/1956 दिनांक 30 मई, 2017 से श्री संजय देवलालीकर, उप अंकेक्षक को प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया गया था. उक्त आदेश में आंशिक संशोधन कर श्री वीरधवल जडे, उप अंकेक्षक, को प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया जाता है.

अतः मैं, ओ.पी. गुप्ता, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ, उज्जैन, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-1999 पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 के अंतर्गत पंजीयक को प्रदत्त एवं मुझमें वेष्टित शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस कार्यालय के परिसमापन आदेश क्रमांक/परि/3562 दिनांक 08 अक्टूबर, 2016 को निरस्त कर अधिनियम की धारा 69(4) के अन्तर्गत चापानेर बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., चापानेर के कार्य संचालन हेतु प्रबंधक समिति के आगामी निर्वाचन होने तक श्री वीरधवल जडे, उप अंकेक्षक, को प्रभारी अधिकारी नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 29 अगस्त, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(1080)

ओ.पी.गुप्ता,  
उप पंजीयक.

### कार्यालय उप पंजीयक सहकारी संस्थाएँ, जबलपुर

जबलपुर, दिनांक 24 अगस्त, 2018

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) अंतर्गत]

क्र./उपज/परि./2018/1618.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक उपज/परि./857, दिनांक 09 अप्रैल, 2018 के द्वारा लक्ष्य साग, सब्जी फल-फूल उत्पादक एवं विपणन सहकारी समिति मर्या. जबलपुर, जिला जबलपुर पंजीयन क्रमांक 1851 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन के अधीन लाया जाकर धारा 70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की गई थी. संस्था के वर्तमान परिसमापक श्री अरविंद कुमार जैन, सहकारी निरीक्षक द्वारा संस्था के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न की जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के देनदारी-लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण पत्रक का अंकेक्षण सहायक आयुक्त(अंकेक्षण) सहकारिता जबलपुर से कराये जाने के उपरांत परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन एवं लेनदारी-देनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के आधार पर संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया.

अतः मैं, जी.पी. प्रजापति, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ जबलपुर, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-2-2010 पन्द्रह-1 सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए लक्ष्य साग, सब्जी फल-फूल

उत्पादक एवं विपणन सहकारी समिति मर्या. जबलपुर, जिला जबलपुर पंजीयन क्रमांक 1851 का पंजीयन निरस्त करता हूँ. संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 24 अगस्त, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया.

(1072)

जबलपुर, दिनांक 24 अगस्त, 2018

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (1)अंतर्गत]

क्र./उपज/परि./2018/1619.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक उपज/परि./855, दिनांक 09 अप्रैल, 2018 के द्वारा जबलपुर महिला बीड़ी कामगार सहकारी समिति मर्या. जबलपुर, जिला जबलपुर पंजीयन क्रमांक 775 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन के अधीन लाया जाकर धारा 70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की गई थी. संस्था के वर्तमान परिसमापक श्री अरविंद कुमार जैन, सहकारी निरीक्षक द्वारा संस्था के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न की जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के देनदारी-लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण पत्रक का अंकेक्षण सहायक आयुक्त(अंकेक्षण) सहकारिता जबलपुर से कराये जाने के उपरांत परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन एवं लेनदारी-देनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के आधार पर संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया.

अतः मैं, जी.पी. प्रजापति, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं जबलपुर, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-2-2010 पन्द्रह-1 सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए जबलपुर महिला बीड़ी कामगार सहकारी समिति मर्या. जबलपुर, जिला जबलपुर पंजीयन क्रमांक 775 का पंजीयन निरस्त करता हूँ. संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 24 अगस्त, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया.

(1073)

जबलपुर, दिनांक 24 अगस्त, 2018

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (1)अंतर्गत]

क्र./उपज/परि./2018/1620.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक उपज/परि./710, दिनांक 21 मार्च, 2018 के द्वारा वसुन्धरा खनिज उत्खन्न मजदुर सहकारी समिति मर्या. सुंअरकोल, डुमना रोड, जबलपुर, जिला जबलपुर पंजीयन क्रमांक 1684 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन के अधीन लाया जाकर धारा 70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की गई थी. संस्था के वर्तमान परिसमापक श्री अरविंद कुमार जैन, सहकारी निरीक्षक द्वारा संस्था के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न की जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के देनदारी-लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण पत्रक का अंकेक्षण सहायक आयुक्त(अंकेक्षण) सहकारिता जबलपुर से कराये जाने के उपरांत परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन एवं लेनदारी-देनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के आधार पर संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया.

अतः मैं, जी.पी. प्रजापति, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं जबलपुर, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-2-2010 पन्द्रह-1 सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए वसुन्धरा खनिज उत्खन्न मजदुर सहकारी समिति मर्या. सुंअरकोल, डुमना रोड, जबलपुर, जिला जबलपुर पंजीयन क्रमांक 1684 का पंजीयन निरस्त करता हूँ. संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 24 अगस्त, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया.

जी. पी. प्रजापति,  
सहायक पंजीयक.

(1074)

**कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी समितियाँ, जिला ग्वालियर**

ग्वालियर, दिनांक 12 सितम्बर, 2018

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं 70 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2018/1894.—रितु साख सहकारी संस्था मर्यादित, ग्वालियर जिसका पंजीयन क्रमांक-डी.आर/जी.डब्लू.आर./589, दिनांक 04 अक्टूबर, 2016 है के सम्बंध में मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन प्राधिकारी भोपाल के आदेश क्रमांक/सह.नि.प्रा.निर्वा-2/2017/7873, दिनांक 17 जुलाई, 2017

से नियुक्त रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के माध्यम से कार्यप्रणाली के सम्बंध में निम्नानुसार अनियमितताएं संज्ञान में आई हैं:-

1. संस्था के पंजीयक द्वारा नामांकित प्रबंधकारिणी समिति द्वारा पंजीयन दिनांक से आज दिनांक तक संस्था के निर्वाचन हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं किया है और न ही निर्वाचन सम्पन्न का कोई रिकार्ड ही इस कार्यालय में प्रस्तुत किया है.
2. संस्था द्वारा अंकेक्षण हेतु रिकार्ड उपलब्ध न कराने से संस्था को पंजीयन नस्ती के आधार पर अंकेक्षण किया जाकर संस्था को अकार्यशील "डी" वर्ग में वर्गीकृत किया गया है.
3. संस्था पंजीकृत पते पर विद्यमान नहीं है.
4. संस्था अध्यक्ष के निवास के पते पर उपलब्ध न होने एवं संस्था के पंजीकृत पते पर उपलब्ध नहीं होने के कारण संस्था के निर्वाचन हेतु रिकार्ड उपलब्ध नहीं हो सका. जिसके कारण संस्था को धारा-69(3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परि./2018/1501, दिनांक 23 जुलाई, 2018 से जारी किया गया.

कारण बताओ सूचना-पत्र संस्था के पंजीकृत पते पर भेजा गया एवं सूचना-पत्र मध्यप्रदेश शासन के राजपत्र में भी प्रकाशित कराया गया परन्तु आज दिनांक तक संस्था के द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र का जबाव प्रस्तुत नहीं करना यह दर्शाता है कि संस्था सदस्य एवं पदाधिकारियों की संस्था के संचालन में कोई रुचि नहीं है.

अतः मैं, अनुभा सूद, उप-पंजीयक सहकारी संस्थायें, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र.-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के तहत रिनु साख सहकारी संस्था मर्यादित, ग्वालियर को परिसमापन में लाये जाने का आदेश देती हूँ और संस्था की संपत्तियों एवं दायित्वों के निराकरण हेतु मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री आलोक साहू, उप अंके. को उक्त सहकारी समिति का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 12 सितम्बर, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(1082)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं 70 (1) के अंतर्गत]

डबरा पशू पालन सहकारी संस्था मर्यादित, डबरा जिला ग्वालियर जिसका पंजीयन क्रमांक-डी.आर/जी.डब्ल्यू.आर./487, दिनांक 12 फरवरी, 2016 है के सम्बंध में मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन प्राधिकारी भोपाल के आदेश क्रमांक/सह.नि.प्रा.निर्वा-2/2017/7873, दिनांक 17 जुलाई, 2017 से नियुक्त रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के माध्यम से कार्यप्रणाली के सम्बंध में निम्नानुसार अनियमितताएं संज्ञान में आई हैं:-

1. संस्था के पंजीयक द्वारा नामांकित प्रबंधकारिणी समिति द्वारा पंजीयन दिनांक से आज दिनांक तक संस्था के निर्वाचन हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं किया है और न ही निर्वाचन सम्पन्न का कोई रिकार्ड ही इस कार्यालय में प्रस्तुत किया है.
2. संस्था द्वारा अंकेक्षण हेतु रिकार्ड उपलब्ध न कराने से संस्था को पंजीयन नस्ती के आधार पर अंकेक्षण किया जाकर संस्था को अकार्यशील "डी" वर्ग में वर्गीकृत किया गया है.
3. संस्था पंजीकृत पते पर विद्यमान नहीं है.
4. संस्था अध्यक्ष के निवास के पते पर उपलब्ध न होने एवं संस्था के पंजीकृत पते पर उपलब्ध नहीं होने के कारण संस्था के निर्वाचन हेतु रिकार्ड उपलब्ध नहीं हो सका. जिसके कारण संस्था को धारा-69(3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परि./2018/1499, दिनांक 23 जुलाई, 2018 से जारी किया गया.

कारण बताओ सूचना-पत्र संस्था के पंजीकृत पते पर भेजा गया एवं सूचना-पत्र मध्यप्रदेश शासन के राजपत्र में भी प्रकाशित कराया गया परन्तु आज दिनांक तक संस्था के द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र का जबाव प्रस्तुत नहीं करना यह दर्शाता है कि संस्था सदस्य एवं पदाधिकारियों की संस्था के संचालन में कोई रुचि नहीं है.

अतः मैं, अनुभा सूद, उप-पंजीयक सहकारी संस्थायें, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र.-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के तहत डबरा पशू पालन सहकारी संस्था मर्यादित, डबरा जिला ग्वालियर को परिसमापन में लाये जाने का आदेश देती हूँ और संस्था की संपत्तियों एवं दायित्वों के निराकरण हेतु मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री पी. सी. गुप्ता, C.I. को उक्त सहकारी समिति का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 12 सितम्बर, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(1083)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं 70 (1) के अंतर्गत]

नवीन महिला बचत साख सहकारी संस्था मर्यादित, ग्वालियर जिसका पंजीयन क्रमांक-डी.आर/जी.डब्लू.आर./493, दिनांक 12 फरवरी, 2016 है के सम्बंध में मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन प्राधिकारी भोपाल के आदेश क्रमांक/सह.नि.प्रा.निर्वा-2/2017/7873, दिनांक 17 जुलाई, 2017 से नियुक्त रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के माध्यम से कार्यप्रणाली के सम्बंध में निम्नानुसार अनियमितताएं संज्ञान में आई हैं:-

1. संस्था के पंजीयक द्वारा नामांकित प्रबंधकारिणी समिति द्वारा पंजीयन दिनांक से आज दिनांक तक संस्था के निर्वाचन हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं किया है और न ही निर्वाचन सम्पन्न का कोई रिकार्ड ही इस कार्यालय में प्रस्तुत किया है.
2. संस्था द्वारा अंकेक्षण हेतु रिकार्ड उपलब्ध न कराने से संस्था को पंजीयन नस्ती के आधार पर अंकेक्षण किया जाकर संस्था को अकार्यशील "डी" वर्ग में वर्गीकृत किया गया है.
3. संस्था पंजीकृत पते पर विद्यमान नहीं है.
4. संस्था अध्यक्ष के निवास के पते पर उपलब्ध न होने एवं संस्था के पंजीकृत पते पर उपलब्ध नहीं होने के कारण संस्था के निर्वाचन हेतु रिकार्ड उपलब्ध नहीं हो सका. जिसके कारण संस्था को धारा-69(3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परि./2018/1502, दिनांक 23 जुलाई, 2018 से जारी किया गया.

कारण बताओ सूचना-पत्र संस्था के पंजीकृत पते पर भेजा गया एवं सूचना-पत्र मध्यप्रदेश शासन के राजपत्र में भी प्रकाशित कराया गया परन्तु आज दिनांक तक संस्था के द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र का जबाव प्रस्तुत नहीं करना यह दर्शाता है कि संस्था सदस्य एवं पदाधिकारियों की संस्था के संचालन में कोई रुचि नहीं है.

अतः मैं, अनुभा सूद, उप-पंजीयक सहकारी संस्थायें, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र.-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के तहत नवीन महिला बचत साख सहकारी संस्था मर्यादित, ग्वालियर को परिसमापन में लाये जाने का आदेश देती हूँ और संस्था की संपत्तियों एवं दायित्वों के निराकरण हेतु मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री गिरीश जैन, S/A को उक्त सहकारी समिति का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 12 सितम्बर, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(1084)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं 70 (1) के अंतर्गत]

दि भारतीय साख सहकारी संस्था मर्यादित, ग्वालियर जिसका पंजीयन क्रमांक-डी.आर/जी.डब्लू.आर./629, दिनांक 26 दिसम्बर, 2017 है के सम्बंध में मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन प्राधिकारी भोपाल के आदेश क्रमांक/सह.नि.प्रा.निर्वा-2/2017/7873, दिनांक 17 जुलाई, 2017 से नियुक्त रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के माध्यम से कार्यप्रणाली के सम्बंध में निम्नानुसार अनियमितताएं संज्ञान में आई हैं:-

1. संस्था के पंजीयक द्वारा नामांकित प्रबंधकारिणी समिति द्वारा पंजीयन दिनांक से आज दिनांक तक संस्था के निर्वाचन हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं किया है और न ही निर्वाचन सम्पन्न का कोई रिकार्ड ही इस कार्यालय में प्रस्तुत किया है.
2. संस्था द्वारा अंकेक्षण हेतु रिकार्ड उपलब्ध न कराने से संस्था को पंजीयन नस्ती के आधार पर अंकेक्षण किया जाकर संस्था को अकार्यशील "डी" वर्ग में वर्गीकृत किया गया है.
3. संस्था पंजीकृत पते पर विद्यमान नहीं है.
4. संस्था अध्यक्ष के निवास के पते पर उपलब्ध न होने एवं संस्था के पंजीकृत पते पर उपलब्ध नहीं होने के कारण संस्था के निर्वाचन हेतु रिकार्ड उपलब्ध नहीं हो सका. जिसके कारण संस्था को धारा-69(3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परि./2018/1498, दिनांक 23 जुलाई, 2018 से जारी किया गया.

कारण बताओ सूचना-पत्र संस्था के पंजीकृत पते पर भेजा गया एवं सूचना-पत्र मध्यप्रदेश शासन के राजपत्र में भी प्रकाशित कराया गया परन्तु आज दिनांक तक संस्था के द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र का जबाव प्रस्तुत नहीं करना यह दर्शाता है कि संस्था सदस्य एवं पदाधिकारियों की संस्था के संचालन में कोई रुचि नहीं है.

अतः मैं, अनुभा सूद, उप-पंजीयक सहकारी संस्थायें, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र.-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के तहत दि भारतीय साख सहकारी संस्था मर्यादित, ग्वालियर को परिसमापन में लाये जाने का

आदेश देती हूँ और संस्था की संपत्तियों एवं दायित्वों के निराकरण हेतु मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री सुधीर श्रीवास्तव, उप. अंके. को उक्त सहकारी समिति का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 12 सितम्बर, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(1085)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं 70 (1) के अंतर्गत]

महामाया साख सहकारी संस्था मर्यादित, ग्वालियर जिसका पंजीयन क्रमांक-डी.आर/जी.डब्लू.आर./576, दिनांक 08 सितम्बर, 2016 है के सम्बंध में मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन प्राधिकारी भोपाल के आदेश क्रमांक/सह.नि.प्रा.निर्वा-2/2017/7873, दिनांक 17 जुलाई, 2017 से नियुक्त रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के माध्यम से कार्यप्रणाली के सम्बंध में निम्नानुसार अनियमितताएं संज्ञान में आई हैं:-

1. संस्था के पंजीयक द्वारा नामांकित प्रबंधकारिणी समिति द्वारा पंजीयन दिनांक से आज दिनांक तक संस्था के निर्वाचन हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं किया है और न ही निर्वाचन सम्पन्न का कोई रिकार्ड ही इस कार्यालय में प्रस्तुत किया है.
2. संस्था द्वारा अंकेक्षण हेतु रिकार्ड उपलब्ध न कराने से संस्था को पंजीयन नस्ती के आधार पर अंकेक्षण किया जाकर संस्था को अकार्यशील "डी" वर्ग में वर्गीकृत किया गया है.
3. संस्था पंजीकृत पते पर विद्यमान नहीं है.
4. संस्था अध्यक्ष के निवास के पते पर उपलब्ध न होने एवं संस्था के पंजीकृत पते पर उपलब्ध नहीं होने के कारण संस्था के निर्वाचन हेतु रिकार्ड उपलब्ध नहीं हो सका. जिसके कारण संस्था को धारा-69(3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परि./2018/1508, दिनांक 23 जुलाई, 2018 से जारी किया गया.

कारण बताओ सूचना-पत्र संस्था के पंजीकृत पते पर भेजा गया एवं सूचना-पत्र मध्यप्रदेश शासन के राजपत्र में भी प्रकाशित कराया गया परन्तु आज दिनांक तक संस्था के द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र का जबाव प्रस्तुत नहीं करना यह दर्शाता है कि संस्था सदस्य एवं पदाधिकारियों की संस्था के संचालन में कोई रुचि नहीं है.

अतः मैं, अनुभा सूद, उप-पंजीयक सहकारी संस्थायें, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र.-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के तहत महामाया साख सहकारी संस्था मर्यादित, ग्वालियर को परिसमापन में लाये जाने का आदेश देती हूँ. और संस्था की संपत्तियों एवं दायित्वों के निराकरण हेतु मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री वाय.पी. श्रीवास्तव, S.A. को उक्त सहकारी समिति का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 12 सितम्बर, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(1086)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं 70 (1) के अंतर्गत]

भारतीय नगरिक साख सहकारी संस्था मर्यादित, ग्वालियर जिसका पंजीयन क्रमांक-डी.आर/जी.डब्लू.आर./636, दिनांक 26 दिसम्बर, 2016 है के सम्बंध में मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन प्राधिकारी भोपाल के आदेश क्रमांक/सह.नि.प्रा.निर्वा-2/2017/7873, दिनांक 17 जुलाई, 2017 से नियुक्त रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के माध्यम से कार्यप्रणाली के सम्बंध में निम्नानुसार अनियमितताएं संज्ञान में आई हैं:-

1. संस्था के पंजीयक द्वारा नामांकित प्रबंधकारिणी समिति द्वारा पंजीयन दिनांक से आज दिनांक तक संस्था के निर्वाचन हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं किया है और न ही निर्वाचन सम्पन्न का कोई रिकार्ड ही इस कार्यालय में प्रस्तुत किया है.
2. संस्था द्वारा अंकेक्षण हेतु रिकार्ड उपलब्ध न कराने से संस्था को पंजीयन नस्ती के आधार पर अंकेक्षण किया जाकर संस्था को अकार्यशील "डी" वर्ग में वर्गीकृत किया गया है.
3. संस्था पंजीकृत पते पर विद्यमान नहीं है.
4. संस्था अध्यक्ष के निवास के पते पर उपलब्ध न होने एवं संस्था के पंजीकृत पते पर उपलब्ध नहीं होने के कारण संस्था के निर्वाचन हेतु रिकार्ड उपलब्ध नहीं हो सका. जिसके कारण संस्था को धारा-69(3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परि./2018/1491, दिनांक 23 जुलाई, 2018 से जारी किया गया.

कारण बताओ सूचना-पत्र संस्था के पंजीकृत पते पर भेजा गया एवं सूचना-पत्र मध्यप्रदेश शासन के राजपत्र में भी प्रकाशित कराया

गया परन्तु आज दिनांक तक संस्था के द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र का जबाव प्रस्तुत नहीं करना यह दर्शाता है कि संस्था सदस्य एवं पदाधिकारियों की संस्था के संचालन में कोई रुचि नहीं है।

अतः मैं, अनुभा सूद, उप-पंजीयक सहकारी संस्थायें, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र.-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के तहत भारतीय नगरिक साख सहकारी संस्था मर्यादित, ग्वालियर को परिसमापन में लाये जाने का आदेश देती हूँ और संस्था की संपत्तियों एवं दायित्वों के निराकरण हेतु मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री ओ.पी. पाठक, सहकारी निरीक्षक को उक्त सहकारी समिति का परिसमापक नियुक्त करता हूँ

यह आदेश आज दिनांक 12 सितम्बर, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

(1087)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं 70 (1) के अंतर्गत]

उद्वहन सिंचाई सहकारी संस्था मर्यादित, मेहदपुर जिसका पंजीयन क्रमांक-डी.आर/जी.डब्लू.आर./698, दिनांक 20 अप्रैल, 2017 है के सम्बंध में मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन प्राधिकारी भोपाल के आदेश क्रमांक/सह.नि.प्रा.निर्वा-2/2017/7873, दिनांक 17 जुलाई, 2017 से नियुक्त रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के माध्यम से कार्यप्रणाली के सम्बंध में निम्नानुसार अनियमितताएं संज्ञान में आई हैं:-

1. संस्था के पंजीयक द्वारा नामांकित प्रबंधकारिणी समिति द्वारा पंजीयन दिनांक से आज दिनांक तक संस्था के निर्वाचन हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं किया है और न ही निर्वाचन सम्पन्न का कोई रिकार्ड ही इस कार्यालय में प्रस्तुत किया है।
2. संस्था द्वारा अंकेक्षण हेतु रिकार्ड उपलब्ध न कराने से संस्था को पंजीयन नस्ती के आधार पर अंकेक्षण किया जाकर संस्था को अकार्यशील "डी" वर्ग में वर्गीकृत किया गया है।
3. संस्था पंजीकृत पते पर विद्यमान नहीं है।
4. संस्था अध्यक्ष के निवास के पते पर उपलब्ध न होने एवं संस्था के पंजीकृत पते पर उपलब्ध नहीं होने के कारण संस्था के निर्वाचन हेतु रिकार्ड उपलब्ध नहीं हो सका। जिसके कारण संस्था को धारा-69(3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परि./2018/1504, दिनांक 23 जुलाई, 2018 से जारी किया गया।

कारण बताओ सूचना-पत्र संस्था के पंजीकृत पते पर भेजा गया एवं सूचना-पत्र मध्यप्रदेश शासन के राजपत्र में भी प्रकाशित कराया गया परन्तु आज दिनांक तक संस्था के द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र का जबाव प्रस्तुत नहीं करना यह दर्शाता है कि संस्था सदस्य एवं पदाधिकारियों की संस्था के संचालन में कोई रुचि नहीं है।

अतः मैं, अनुभा सूद, उप-पंजीयक सहकारी संस्थायें, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र.-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के तहत उद्वहन सिंचाई सहकारी संस्था मर्यादित, मेहदपुर को परिसमापन में लाये जाने का आदेश देती हूँ और संस्था की संपत्तियों एवं दायित्वों के निराकरण हेतु मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री आनंद कुमार मॉड़ी, सहकारी निरीक्षक, घाटीगाँव को उक्त सहकारी समिति का परिसमापक नियुक्त करता हूँ

यह आदेश आज दिनांक 12 सितम्बर, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

(1088)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं 70 (1) के अंतर्गत]

श्रीराम प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्यादित, डबरा, जिला ग्वालियर जिसका पंजीयन क्रमांक डी.आर/जी.डब्लू.आर./565, दिनांक 08 सितम्बर, 2016 है के सम्बंध में मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन प्राधिकारी भोपाल के आदेश क्रमांक/सह.नि.प्रा.निर्वा-2/2017/7873, दिनांक 17 जुलाई, 2017 से नियुक्त रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के माध्यम से कार्यप्रणाली के सम्बंध में निम्नानुसार अनियमितताएं संज्ञान में आई हैं:-

1. संस्था के पंजीयक द्वारा नामांकित प्रबंधकारिणी समिति द्वारा पंजीयन दिनांक से आज दिनांक तक संस्था के निर्वाचन हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं किया है और न ही निर्वाचन सम्पन्न का कोई रिकार्ड ही इस कार्यालय में प्रस्तुत किया है।
2. संस्था द्वारा अंकेक्षण हेतु रिकार्ड उपलब्ध न कराने से संस्था को पंजीयन नस्ती के आधार पर अंकेक्षण किया जाकर संस्था को अकार्यशील "डी" वर्ग में वर्गीकृत किया गया है।
3. संस्था पंजीकृत पते पर विद्यमान नहीं है।

4. संस्था अध्यक्ष के निवास के पते पर उपलब्ध न होने एवं संस्था के पंजीकृत पते पर उपलब्ध नहीं होने के कारण संस्था के निर्वाचन हेतु रिकार्ड उपलब्ध नहीं हो सका. जिसके कारण संस्था को धारा-69(3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परि./2018/1509, दिनांक 23 जुलाई, 2018 से जारी किया गया.

कारण बताओ सूचना-पत्र संस्था के पंजीकृत पते पर भेजा गया एवं सूचना-पत्र मध्यप्रदेश शासन के राजपत्र में भी प्रकाशित कराया गया परन्तु आज दिनांक तक संस्था के द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र का जबाव प्रस्तुत नहीं करना यह दर्शाता है कि संस्था सदस्य एवं पदाधिकारियों की संस्था के संचालन में कोई रुचि नहीं है.

अतः मैं, अनुभा सूद, उप-पंजीयक सहकारी संस्थायें, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र.-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के तहत श्रीराम प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्यादित, डबरा, जिला ग्वालियर को परिसमापन में लाये जाने का आदेश देती हूँ और संस्था की संपत्तियों एवं दायित्वों के निराकरण हेतु मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री एस. एम. ए. जैरी, C.E.O. डबरा को उक्त सहकारी समिति का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 12 सितम्बर, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(1089)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं 70 (1) के अंतर्गत]

अनुषा सदभाव महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्यादित, ग्वालियर जिसका पंजीयन क्रमांक डी.आर/जी.डब्लू.आर./604, दिनांक 21 अक्टूबर, 2016 है के सम्बंध में मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन प्राधिकारी भोपाल के आदेश क्रमांक/सह.नि.प्रा.निर्वा-2/2017/7873, दिनांक 17 जुलाई, 2017 से नियुक्त रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के माध्यम से कार्यप्रणाली के सम्बंध में निम्नानुसार अनियमितताएं संज्ञान में आई हैं:-

1. संस्था के पंजीयक द्वारा नामांकित प्रबंधकारिणी समिति द्वारा पंजीयन दिनांक से आज दिनांक तक संस्था के निर्वाचन हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं किया है और न ही निर्वाचन सम्पन्न का कोई रिकार्ड ही इस कार्यालय में प्रस्तुत किया है.
2. संस्था द्वारा अंकेक्षण हेतु रिकार्ड उपलब्ध न कराने से संस्था को पंजीयन नस्ती के आधार पर अंकेक्षण किया जाकर संस्था को अकार्यशील "डी" वर्ग में वर्गीकृत किया गया है.
3. संस्था पंजीकृत पते पर विद्यमान नहीं है.
4. संस्था अध्यक्ष के निवास के पते पर उपलब्ध न होने एवं संस्था के पंजीकृत पते पर उपलब्ध नहीं होने के कारण संस्था के निर्वाचन हेतु रिकार्ड उपलब्ध नहीं हो सका. जिसके कारण संस्था को धारा-69(3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परि./2018/1493, दिनांक 23 जुलाई, 2018 से जारी किया गया.

कारण बताओ सूचना-पत्र संस्था के पंजीकृत पते पर भेजा गया एवं सूचना-पत्र मध्यप्रदेश शासन के राजपत्र में भी प्रकाशित कराया गया परन्तु आज दिनांक तक संस्था के द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र का जबाव प्रस्तुत नहीं करना यह दर्शाता है कि संस्था सदस्य एवं पदाधिकारियों की संस्था के संचालन में कोई रुचि नहीं है.

अतः मैं, अनुभा सूद, उप-पंजीयक सहकारी संस्थायें, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र.-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के तहत अनुषा सदभाव महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्यादित, ग्वालियर को परिसमापन में लाये जाने का आदेश देती हूँ और संस्था की संपत्तियों एवं दायित्वों के निराकरण हेतु मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री के. सी. शर्मा, सहकारी निरीक्षक को उक्त सहकारी समिति का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 12 सितम्बर, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(1090)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं 70 (1) के अंतर्गत]

रिषीकेश प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्यादित, ग्वालियर जिसका पंजीयन क्रमांक डी.आर/जी.डब्लू.आर./658, दिनांक 28 मार्च, 2017 है के सम्बंध में मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन प्राधिकारी भोपाल के आदेश क्रमांक/सह.नि.प्रा.निर्वा-2/2017/7873, दिनांक 17 जुलाई, 2017 से नियुक्त रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के माध्यम से कार्यप्रणाली के सम्बंध में निम्नानुसार अनियमितताएं संज्ञान में आई हैं:-

1. संस्था के पंजीयक द्वारा नामांकित प्रबंधकारिणी समिति द्वारा पंजीयन दिनांक से आज दिनांक तक संस्था के निर्वाचन हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं किया है और न ही निर्वाचन सम्पन्न का कोई रिकार्ड ही इस कार्यालय में प्रस्तुत किया है.

2. संस्था द्वारा अंकेक्षण हेतु रिकार्ड उपलब्ध न कराने से संस्था को पंजीयन नस्ती के आधार पर अंकेक्षण किया जाकर संस्था को अकार्यशील "डी" वर्ग में वर्गीकृत किया गया है।
3. संस्था पंजीकृत पते पर विद्यमान नहीं है।
4. संस्था अध्यक्ष के निवास के पते पर उपलब्ध न होने एवं संस्था के पंजीकृत पते पर उपलब्ध नहीं होने के कारण संस्था के निर्वाचन हेतु रिकार्ड उपलब्ध नहीं हो सका। जिसके कारण संस्था को धारा-69(3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परि./2018/1490, दिनांक 23 जुलाई, 2018 से जारी किया गया।

कारण बताओ सूचना-पत्र संस्था के पंजीकृत पते पर भेजा गया एवं सूचना-पत्र मध्यप्रदेश शासन के राजपत्र में भी प्रकाशित कराया गया परन्तु आज दिनांक तक संस्था के द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र का जबाव प्रस्तुत नहीं करना यह दर्शाता है कि संस्था सदस्य एवं पदाधिकारियों की संस्था के संचालन में कोई रुचि नहीं है।

अतः मैं, अनुभा सूद, उप-पंजीयक सहकारी संस्थायें, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. -1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के तहत रिषीकेश प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्यादित, ग्वालियर को परिसमापन में लाये जाने का आदेश देती हूँ और संस्था की संपत्तियों एवं दायित्वों के निराकरण हेतु मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री राजेश मंगल, सहकारी निरीक्षक को उक्त सहकारी समिति का परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 12 सितम्बर, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

(1091)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं 70 (1) के अंतर्गत]

जय अचलेश्वर प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्यादित, ग्वालियर जिसका पंजीयन क्रमांक डी.आर/जी.डब्ल्यू.आर./626, दिनांक 26 दिसम्बर, 2016 है के सम्बंध में मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन प्राधिकारी भोपाल के आदेश क्रमांक/सह.नि.प्रा.निर्वा-2/2017/7873, दिनांक 17 जुलाई, 2017 से नियुक्त रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के माध्यम से कार्यप्रणाली के सम्बंध में निम्नानुसार अनियमितताएं सज्ञान में आई हैं:-

1. संस्था के पंजीयक द्वारा नामांकित प्रबंधकारिणी समिति द्वारा पंजीयन दिनांक से आज दिनांक तक संस्था के निर्वाचन हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं किया है और न ही निर्वाचन सम्पन्न का कोई रिकार्ड ही इस कार्यालय में प्रस्तुत किया है।
2. संस्था द्वारा अंकेक्षण हेतु रिकार्ड उपलब्ध न कराने से संस्था को पंजीयन नस्ती के आधार पर अंकेक्षण किया जाकर संस्था को अकार्यशील "डी" वर्ग में वर्गीकृत किया गया है।
3. संस्था पंजीकृत पते पर विद्यमान नहीं है।
4. संस्था अध्यक्ष के निवास के पते पर उपलब्ध न होने एवं संस्था के पंजीकृत पते पर उपलब्ध नहीं होने के कारण संस्था के निर्वाचन हेतु रिकार्ड उपलब्ध नहीं हो सका। जिसके कारण संस्था को धारा-69(3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परि./2018/1500, दिनांक 23 जुलाई, 2018 से जारी किया गया।

कारण बताओ सूचना-पत्र संस्था के पंजीकृत पते पर भेजा गया एवं सूचना-पत्र मध्यप्रदेश शासन के राजपत्र में भी प्रकाशित कराया गया परन्तु आज दिनांक तक संस्था के द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र का जबाव प्रस्तुत नहीं करना यह दर्शाता है कि संस्था सदस्य एवं पदाधिकारियों की संस्था के संचालन में कोई रुचि नहीं है।

अतः मैं, अनुभा सूद, उप-पंजीयक सहकारी संस्थायें, जिला ग्वालियर मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. -1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के तहत जय अचलेश्वर प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्यादित, ग्वालियर को परिसमापन में लाये जाने का आदेश देती हूँ और संस्था की संपत्तियों एवं दायित्वों के निराकरण हेतु मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री बी. एल. गुप्ता, सहकारी निरीक्षक को उक्त सहकारी समिति का परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 12 सितम्बर, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

(1092)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं 70 (1) के अंतर्गत]

स्वाती प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्यादित, ग्वालियर जिसका पंजीयन क्रमांक डी.आर/जी.डब्ल्यू.आर./664,

दिनांक 28 मार्च, 2017 है के सम्बंध में मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन प्राधिकारी भोपाल के आदेश क्रमांक/सह.नि.प्रा.निर्वा-2/2017/7873, दिनांक 17 जुलाई, 2017 से नियुक्त रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के माध्यम से कार्यप्रणाली के सम्बंध में निम्नानुसार अनियमितताएं सज्ञान में आई हैं:-

1. संस्था के पंजीयक द्वारा नामांकित प्रबंधकारिणी समिति द्वारा पंजीयन दिनांक से आज दिनांक तक संस्था के निर्वाचन हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं किया है और न ही निर्वाचन सम्पन्न का कोई रिकार्ड ही इस कार्यालय में प्रस्तुत किया है.
2. संस्था द्वारा अंकेक्षण हेतु रिकार्ड उपलब्ध न कराने से संस्था को पंजीयन नस्ती के आधार पर अंकेक्षण किया जाकर संस्था को अकार्यशील "डी" वर्ग में वर्गीकृत किया गया है.
3. संस्था पंजीकृत पते पर विद्यमान नहीं है.
4. संस्था अध्यक्ष के निवास के पते पर उपलब्ध न होने एवं संस्था के पंजीकृत पते पर उपलब्ध नहीं होने के कारण संस्था के निर्वाचन हेतु रिकार्ड उपलब्ध नहीं हो सका. जिसके कारण संस्था को धारा-69(3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परि./2018/1492, दिनांक 23 जुलाई, 2018 से जारी किया गया.

कारण बताओ सूचना-पत्र संस्था के पंजीकृत पते पर भेजा गया एवं सूचना-पत्र मध्यप्रदेश शासन के राजपत्र में भी प्रकाशित कराया गया परन्तु आज दिनांक तक संस्था के द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र का जबाव प्रस्तुत नहीं करना यह दर्शाता है कि संस्था सदस्य एवं पदाधिकारियों की संस्था के संचालन में कोई रुचि नहीं है.

अतः मैं, अनुभा सूद, उप-पंजीयक सहकारी संस्थायें, जिला ग्वालियर मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. -1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के तहत स्वाती प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्यादित, ग्वालियर को परिसमापन में लाये जाने का आदेश देती हूँ और संस्था की संपत्तियों एवं दायित्वों के निराकरण हेतु मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री आनंद पाराशर, व.स.नि. को उक्त सहकारी समिति का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 12 सितम्बर, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(1093)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं 70 (1) के अंतर्गत]

बालाजी प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्यादित, घाटीगाँव ग्वालियर जिसका पंजीयन क्रमांक डी.आर/जी.डब्लू.आर./648, दिनांक 28 जनवरी, 2017 है के सम्बंध में मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन प्राधिकारी भोपाल के आदेश क्रमांक/सह.नि.प्रा.निर्वा-2/2017/7873, दिनांक 17 जुलाई, 2017 से नियुक्त रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के माध्यम से कार्यप्रणाली के सम्बंध में निम्नानुसार अनियमितताएं सज्ञान में आई हैं:-

1. संस्था के पंजीयक द्वारा नामांकित प्रबंधकारिणी समिति द्वारा पंजीयन दिनांक से आज दिनांक तक संस्था के निर्वाचन हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं किया है और न ही निर्वाचन सम्पन्न का कोई रिकार्ड ही इस कार्यालय में प्रस्तुत किया है.
2. संस्था द्वारा अंकेक्षण हेतु रिकार्ड उपलब्ध न कराने से संस्था को पंजीयन नस्ती के आधार पर अंकेक्षण किया जाकर संस्था को अकार्यशील "डी" वर्ग में वर्गीकृत किया गया है.
3. संस्था पंजीकृत पते पर विद्यमान नहीं है.
4. संस्था अध्यक्ष के निवास के पते पर उपलब्ध न होने एवं संस्था के पंजीकृत पते पर उपलब्ध नहीं होने के कारण संस्था के निर्वाचन हेतु रिकार्ड उपलब्ध नहीं हो सका. जिसके कारण संस्था को धारा-69(3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परि./2018/1495, दिनांक 23 जुलाई, 2018 से जारी किया गया.

कारण बताओ सूचना-पत्र संस्था के पंजीकृत पते पर भेजा गया एवं सूचना-पत्र मध्यप्रदेश शासन के राजपत्र में भी प्रकाशित कराया गया परन्तु आज दिनांक तक संस्था के द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र का जबाव प्रस्तुत नहीं करना यह दर्शाता है कि संस्था सदस्य एवं पदाधिकारियों की संस्था के संचालन में कोई रुचि नहीं है.

अतः मैं, अनुभा सूद, उप-पंजीयक सहकारी संस्थायें, जिला ग्वालियर मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. -1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के तहत बालाजी प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्यादित, घाटीगाँव ग्वालियर को परिसमापन में लाये जाने का आदेश देती हूँ और संस्था की संपत्तियों एवं दायित्वों के निराकरण हेतु मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री आनंद कुमार माँझी, C.E.O. घाटीगाँव को उक्त सहकारी समिति का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 12 सितम्बर, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(1094)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं 70 (1) के अंतर्गत]

गंगोत्री प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्यादित, ग्वालियर जिसका पंजीयन क्रमांक डी.आर/जी.डब्लू.आर./687, दिनांक 28 मार्च, 2017 है के सम्बंध में मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन प्राधिकारी भोपाल के आदेश क्रमांक/सह.नि.प्रा.निर्वा-2/2017/7873, दिनांक 17 जुलाई, 2017 से नियुक्त रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के माध्यम से कार्यप्रणाली के सम्बंध में निम्नानुसार अनियमितताएं संज्ञान में आई हैं:-

1. संस्था के पंजीयक द्वारा नामांकित प्रबंधकारिणी समिति द्वारा पंजीयन दिनांक से आज दिनांक तक संस्था के निर्वाचन हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं किया है और न ही निर्वाचन सम्पन्न का कोई रिकार्ड ही इस कार्यालय में प्रस्तुत किया है.
2. संस्था द्वारा अंकेक्षण हेतु रिकार्ड उपलब्ध न कराने से संस्था को पंजीयन नस्ती के आधार पर अंकेक्षण किया जाकर संस्था को अकार्यशील "डी" वर्ग में वर्गीकृत किया गया है.
3. संस्था पंजीकृत पते पर विद्यमान नहीं है.
4. संस्था अध्यक्ष के निवास के पते पर उपलब्ध न होने एवं संस्था के पंजीकृत पते पर उपलब्ध नहीं होने के कारण संस्था के निर्वाचन हेतु रिकार्ड उपलब्ध नहीं हो सका. जिसके कारण संस्था को धारा-69(3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परि./2018/1496, दिनांक 23 जुलाई, 2018 से जारी किया गया.

कारण बताओ सूचना-पत्र संस्था के पंजीकृत पते पर भेजा गया एवं सूचना-पत्र मध्यप्रदेश शासन के राजपत्र में भी प्रकाशित कराया गया परन्तु आज दिनांक तक संस्था के द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र का जबाव प्रस्तुत नहीं करना यह दर्शाता है कि संस्था सदस्य एवं पदाधिकारियों की संस्था के संचालन में कोई रुचि नहीं है.

अतः मैं, अनुभा सूद, उप-पंजीयक सहकारी संस्थायें, जिला ग्वालियर मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. -1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के तहत गंगोत्री प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्यादित, ग्वालियर को परिसमापन में लाये जाने का आदेश देती हूँ और संस्था की संपत्तियों एवं दायित्वों के निराकरण हेतु मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री एफ. ए. खान, व.स.नि. को उक्त सहकारी समिति का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 12 सितम्बर, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(1095)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं 70 (1) के अंतर्गत]

आषी क्रय-विक्रय सहकारी संस्था मर्यादित, ग्वालियर जिसका पंजीयन क्रमांक डी.आर/जी.डब्लू.आर./603, दिनांक 21 अक्टूबर, 2016 है के सम्बंध में मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन प्राधिकारी भोपाल के आदेश क्रमांक/सह.नि.प्रा.निर्वा-2/2017/7873, दिनांक 17 जुलाई, 2017 से नियुक्त रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के माध्यम से कार्यप्रणाली के सम्बंध में निम्नानुसार अनियमितताएं संज्ञान में आई हैं:-

1. संस्था के पंजीयक द्वारा नामांकित प्रबंधकारिणी समिति द्वारा पंजीयन दिनांक से आज दिनांक तक संस्था के निर्वाचन हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं किया है और न ही निर्वाचन सम्पन्न का कोई रिकार्ड ही इस कार्यालय में प्रस्तुत किया है.
2. संस्था द्वारा अंकेक्षण हेतु रिकार्ड उपलब्ध न कराने से संस्था को पंजीयन नस्ती के आधार पर अंकेक्षण किया जाकर संस्था को अकार्यशील "डी" वर्ग में वर्गीकृत किया गया है.
3. संस्था पंजीकृत पते पर विद्यमान नहीं है.
4. संस्था अध्यक्ष के निवास के पते पर उपलब्ध न होने एवं संस्था के पंजीकृत पते पर उपलब्ध नहीं होने के कारण संस्था के निर्वाचन हेतु रिकार्ड उपलब्ध नहीं हो सका. जिसके कारण संस्था को धारा-69(3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परि./2018/1502, दिनांक 23 जुलाई, 2018 से जारी किया गया.

कारण बताओ सूचना-पत्र संस्था के पंजीकृत पते पर भेजा गया एवं सूचना-पत्र मध्यप्रदेश शासन के राजपत्र में भी प्रकाशित कराया गया परन्तु आज दिनांक तक संस्था के द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र का जबाव प्रस्तुत नहीं करना यह दर्शाता है कि संस्था सदस्य एवं पदाधिकारियों की संस्था के संचालन में कोई रुचि नहीं है.

अतः मैं, अनुभा सूद, उप-पंजीयक सहकारी संस्थायें, जिला ग्वालियर मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. -1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के तहत आषी क्रय-विक्रय सहकारी संस्था मर्यादित, ग्वालियर को परिसमापन में लाये जाने का आदेश देती हूँ और संस्था की

संपत्तियों एवं दायित्वों के निराकरण हेतु मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री मुकेश सिंहल, C.I. को उक्त सहकारी समिति का परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 12 सितम्बर, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

(1096)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं 70 (1) के अंतर्गत]

बुलबुल हुसैन प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्यादित, ग्वालियर जिसका पंजीयन क्रमांक डी.आर./जी.डब्ल्यू.आर./625, दिनांक 26 दिसम्बर, 2016 है, के सम्बंध में मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन प्राधिकारी भोपाल के आदेश क्रमांक/सह.नि.प्रा.निर्वा-2/2017/7873, दिनांक 17 जुलाई, 2017 से नियुक्त रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के माध्यम से कार्यप्रणाली के सम्बंध में निम्नानुसार अनियमितताएं संज्ञान में आई हैं:-

1. संस्था के पंजीयक द्वारा नामांकित प्रबंधकारिणी समिति द्वारा पंजीयन दिनांक से आज दिनांक तक संस्था के निर्वाचन हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं किया है और न ही निर्वाचन सम्पन्न का कोई रिकार्ड ही इस कार्यालय में प्रस्तुत किया है।
2. संस्था द्वारा अंकेक्षण हेतु रिकार्ड उपलब्ध न कराने से संस्था को पंजीयन नस्ती के आधार पर अंकेक्षण किया जाकर संस्था को अकार्यशील "डी" वर्ग में वर्गीकृत किया गया है।
3. संस्था पंजीकृत पते पर विद्यमान नहीं है।
4. संस्था अध्यक्ष के निवास के पते पर उपलब्ध न होने एवं संस्था के पंजीकृत पते पर उपलब्ध नहीं होने के कारण संस्था के निर्वाचन हेतु रिकार्ड उपलब्ध नहीं हो सका। जिसके कारण संस्था को धारा-69(3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परि./2018/1519, दिनांक 23 जुलाई, 2018 से जारी किया गया।

कारण बताओ सूचना-पत्र संस्था के पंजीकृत पते पर भेजा गया एवं सूचना-पत्र मध्यप्रदेश शासन के राजपत्र में भी प्रकाशित कराया गया परन्तु आज दिनांक तक संस्था के द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र का जबाव प्रस्तुत नहीं करना यह दर्शाता है कि संस्था सदस्य एवं पदाधिकारियों की संस्था के संचालन में कोई रुचि नहीं है।

अतः मैं, अनुभा सूद, उप-पंजीयक सहकारी संस्थायें, जिला ग्वालियर मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. -1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के तहत बुलबुल हुसैन प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्यादित, ग्वालियर को परिसमापन में लाये जाने का आदेश देती हूँ और संस्था की संपत्तियों एवं दायित्वों के निराकरण हेतु मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री राजकुमार शर्मा, सहकारी निरीक्षक को उक्त सहकारी समिति का परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 12 सितम्बर, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

(1097)

अनुभा सूद,  
उप-पंजीयक.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 39 ]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 28 सितम्बर, 2018-आश्विन 6 शके 1940

### भाग 3 ( 2 )

#### सांख्यिकीय सूचनाएं

#### कार्यालय आयुक्त, भू-अभिलेख मध्यप्रदेश

मौसम, फसल एवं पशु-स्थिति का साप्ताहिक प्रतिवेदन, सप्ताहान्त बुधवार, दिनांक 18 अप्रैल, 2018

1. मौसम एवं वर्षा.—राज्य में प्रायः मौसम शुष्क रहा है. तथा राज्य के निम्नांकित जिलों में वर्षा का होना प्रतिवेदित किया गया है.

(अ) 0.1 मि.मी. से 17.4 मि.मी. तक:— तहसील अटेर, भिण्ड, गोहद, मेहगांव, लहार, रौन-मिहौना(भिण्ड), शिवपुरी, कोलारस(शिवपुरी), बीना, बण्डा, सागर, रहेली, देवरी, गढ़ाकोटा, केसली(सागर), कौतमा, जैतहरी(अनूपपुर), बुढार, गोहपारू(शहडोल), बांधवगढ़, पाली, मानपुर (उमरिया), महिदपुर, तराना(उज्जैन), बासौदा, नटेरन, विदिशा, गुलाबगंज(विदिशा), सीहोर(सिहोर), गैरतगंज बैगमगंज, गोहरगंज, सिलवानी(रायसेन), जबलपुर, कुण्डम, सिहोरा, मझौली(जबलपुर), मण्डला, बिछिया, घुघरी(मण्डला), डिण्डौरी(डिण्डौरी), छिन्दवाड़ा, परासिया, जामई, हरई, चांद(छिन्दवाड़ा), में उक्त मि.मी. के अन्तर्गत वर्षा का होना प्रतिवेदित किया गया है.

(ब) 17.5 मि.मी. से 34.9 मि.मी. तक:— तहसील शाहगढ़(सागर), अनूपपुर, पुष्परजगढ़(अनूपपुर), सुहागपुर(शहडोल), ग्यारसपुर(विदिशा), बजाग(डिंडौरी), अमरवाडा(छिंदवाड़ा) में उक्त मि.मी. के अन्तर्गत वर्षा का होना प्रतिवेदित किया गया है

2. जुताई.— जिला दमोह, धार व छिंदवाड़ा में जुताई कार्य कहीं-कहीं चालू रहना प्रतिवेदित किया गया है.

3. बोनी.— जिला नरसिंहपुर में कहीं-कहीं पर बोनी का चालू रहना प्रतिवेदित किया गया है.

4. फसल स्थिति—

. .

5. कटाई.— जिला भोपाल, दमोह व डिंडौरी में फसल गेहूँ, चना की कटाई कहीं-कहीं पर चालू रहना प्रतिवेदित किया गया है.

6. सिंचाई.— जिला शिवपुरी, छतरपुर, सागर, दमोह, सतना, रीवा, शहडोल, उमरिया, सिंगरौली, मंदसौर, नीमच, उज्जैन, शाजापुर, अलीराजपुर, बड़वानी, विदिशा, सीहोर, बैतूल, हरदा, जबलपुर, सिवनी में सिंचाई हेतु पानी अपर्याप्त मात्रा में तथा राज्य के शेष जिलों में सिंचाई हेतु पानी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहना प्रतिवेदित किया गया है.

7. पशुओं की स्थिति.— राज्य के प्रायः सभी जिलों में पशुओं की स्थिति संतोषप्रद रहना प्रतिवेदित किया गया है.

8. **चारा.**- राज्य के जिला शिवपुरी में पशुओं के लिये चारा अपर्याप्त मात्रा में तथा शेष जिलों में चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहना प्रतिवेदित किया गया है.
9. **बीज.**- राज्य के प्रायः सभी जिलों में बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहना प्रतिवेदित किया गया है.
10. **खेतिहर श्रमिक.**- राज्य के प्रायः सभी जिलों में खेतिहर श्रमिक पर्याप्त संख्या व उचित दर पर उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है.

## मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक सूचना-पत्रक, सप्ताहान्त बुधवार, दिनांक 18 अप्रैल, 2018

जिला/तहसीलें	1. सप्ताह में हुई वर्षा :- (अ) वर्षा का माप (मि. मी. में) (ब) वर्षा कम है या बहुत अधिक.	2. कृषि कार्यों की प्रगति तथा उन पर वर्षा का प्रभाव :- (अ) प्रारम्भिक जुताई पर. (ब) बोनी पर (स) रोपाई पर, अगर धान की रोपाई होती हो. (द) खड़ी फसल पर रोग व कीड़ों के आक्रमण के असर का वर्णन सहित. (य) कटी हुई फसल पर.	3. अन्य असामयिक घटना और उसका फसलों पर प्रभाव. 4. खड़ी फसल का व्यापक रूप से अनुमान, गत वर्ष की तुलना में:- (1) फसल का क्षेत्रफल- (अ) अधिक, समान या कम. (ब) प्रतिशत. (2) फसल की हालत- (अ) सुथरी हुई, समान या बिगड़ी हुई (ब) प्रतिशत.	5. सिंचाई के लिये पानी (कम अथवा अधिक) 6. पशुओं की हालत तथा चारे की प्राप्ति.	7. बीज की प्राप्ति. 8. कृषि सम्बन्धी मजदूरों की प्राप्ति.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>1. जिला मुरैना :</b>	मिलीमीटर	2. . .	3. . . 4. (1) . . (2) . .	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. अम्बाह	. .				
2. पोरसा	. .				
3. मुरैना	. .				
4. जौरा	. .				
5. कैलारस	. .				
6. सबलगढ़	. .				
<b>2. जिला श्योपुर :</b>	मिलीमीटर	2. . .	3. . . 4. (1) गन्ना समान. (2) गन्ना समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. श्योपुर	. .				
2. कराहल	. .				
3. विजयपुर	. .				
4. वीरपुर	. .				
5. बडोदा	. .				
<b>3. जिला भिण्ड :</b>	मिलीमीटर	2. . .	3. . . 4. (1) . . (2) . .	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. अटेर	9.0				
2. भिण्ड	4.0				
3. गोहद	7.0				
4. मेहगांव	15.2				
5. लहार	8.0				
6. रौनमिहोना	6.0				
7. गोरमी	. .				
8. मौ	. .				
9. रौन	. .				
<b>4. जिला ग्वालियर :</b>	मिलीमीटर	2. . .	3. . . 4. (1) . . (2) . .	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. ग्वालियर	. .				
2. डबरा	. .				
3. भितरवार	. .				
4. चिनोर	. .				
5. घाटीगांव	. .				
<b>5. जिला दतिया :</b>	मिलीमीटर	2. . .	3. . . 4. (1) गन्ना समान. (2) गन्ना समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सेवड़ा	. .				
2. दतिया	. .				
3. इन्दरगढ़	. .				
4. बढौनी	. .				
5. भाण्डेर	. .				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		
<b>6. जिला शिवपुरी :</b>	मिलीमीटर	2.	..	3.	..	5. अपर्याप्त	7. पर्याप्त
1. शिवपुरी	2.0			4. (1)	..	6. संतोषप्रद	8. पर्याप्त
2. पिछोर	..			(2)	..	चारा अपर्याप्त	
3. खनियाधाना	..						
4. नरवर	..						
5. करैरा	..						
6. कोलारस	3.0						
7. पोहरी	..						
8. बैराढ़	..						
9. बदरवास	..						
<b>7. जिला अशोकनगर :</b>	मिलीमीटर	2.	..	3.	..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. मुँगावली	..			4. (1)	..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. ईसागढ़	..			(2)	..	चारा पर्याप्त.	
3. अशोकनगर	..						
4. चन्देरी	..						
5. नई सराय	..						
6. पिपरई	..						
7. शाढौरा	..						
<b>8. *जिला गुना :</b>	मिलीमीटर	2.	..	3.	..	5. ..	7. ..
1. गुना	..			4. (1)	..	6. ..	8. ..
2. राघोगढ़	..						
3. बमोरी	..			(2)	..		
4. आरोन	..						
5. चाचौड़ा	..						
6. मकसूदनगढ़	..						
7. कुम्भराज	..						
<b>9. जिला टीकमगढ़ :</b>	मिलीमीटर	2.	..	3.	..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. निवाड़ी	..			4. (1)	..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पृथ्वीपुर	..			(2)	..	चारा पर्याप्त.	
3. जतारा	..						
4. टीकमगढ़	..						
5. बल्देवगढ़	..						
6. पलेरा	..						
7. खरगापुर	..						
8. मोहनगढ़	..						
9. लिधौरा	..						
10. ओरछा	..						
<b>10. जिला छतरपुर :</b>	मिलीमीटर	2.	..	3.	..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. लोण्डी	..			4. (1)	..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. गौरीहार	..			(2)	..	चारा पर्याप्त.	
3. नौगांव	..						
4. छतरपुर	..						
5. राजनगर	..						
6. बिजावर	..						
7. बड़ामल्हरा	..						
8. महाराजपुर	..						
9. चंदला	..						
10. धुवारा	..						
11. लवकुश नगर	..						
12. बक्सवाहा	..						

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>11. जिला पन्ना :</b>	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. अजयगढ़	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद.	8. पर्याप्त.
2. पन्ना	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. गुन्नौर	. .				
4. पवई	. .				
5. रेपुरा	. .				
6. अमानगंज	. .				
7. देवेन्द्र नगर	. .				
8. सिमारिया	. .				
9. शाहनगर	. .				
<b>12. जिला सागर :</b>	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बीना	3.2		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खुरई	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. बण्डा	3.0				
4. सागर	2.0				
5. रेहली	10.0				
6. देवरी	4.0				
7. गढ़ाकोटा	9.4				
8. राहतगढ़	. .				
9. कंसली	4.0				
10. मालथोन	. .				
11. शाहगढ़	24.0				
<b>13. जिला दमोह :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई कार्य चालू है. रबी फसलों की कटाई चालू है.	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. हटा	. .		4.(1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. बटियागढ़	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. दमोह	. .				
4. पथरिया	. .				
5. जवेरा	. .				
6. तेन्दूखेड़ा	. .				
7. पटेरा	. .				
<b>14. जिला सतना :</b>	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. रघुराजनगर	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद	8. पर्याप्त.
2. मझगवां	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. रामपुर-(बघेलान)	. .				
4. नागौद	. .				
5. उचेहरा	. .				
6. अमरपाटन	. .				
7. रामनगर	. .				
8. मैहर	. .				
9. कोठर	. .				
10. बिरसिंहपुर	. .				
<b>15. जिला रीवा :</b>	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. त्योंथर	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सिरमौर	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. मरुगंज	. .				
4. हनुमना	. .				
5. हुजूर	. .				
6. गुढ़	. .				
7. मनगवां	. .				
8. सेमरिया	. .				
9. जवा	. .				
10. नईगढ़ी	. .				
11. रायपुर(कर्चुलियान)	. .				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>16. जिला शहडोल:</b>	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सोहागपुर	19.0		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. ब्यौहारी	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. जैसिंहनगर	. .				
4. बुढ़ार	1.0				
5. गोहपारू	4.0				
6. जैतपुर	. .				
<b>17. जिला अनूपपुर :</b>	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जैतहरी	12.0		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. अनूपपुर	23.5		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. कोतमा	4.0				
4. पुष्पराजगढ़	25.6				
<b>18. जिला उमरिया :</b>	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बांधवगढ़	10.0		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पाली	3.3		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. चोदिया	. .				
4. नौरोजाबाद	. .				
5. मानपुर	10.5				
<b>19. जिला सीधी :</b>	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. गोपदवनास	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सिंहावल	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. मझौली	. .				
4. कुसमी	. .				
5. चुरहट	. .				
6. बहरी	. .				
7. रामपुरनैकिन	. .				
<b>20. जिला सिंगरौली :</b>	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. चितरंगी	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. देवसर	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. सरई	. .				
4. माडा	. .				
5. सिंगरौली	. .				
<b>21. जिला मंदसौर :</b>	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सुवासराटप्पा	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. भानपुरा	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. मल्हारगढ़	. .				
4. गरोठ	. .				
5. मंदसौर	. .				
6. श्यामगढ़	. .				
7. सीतामऊ	. .				
8. दलोदा	. .				
9. धुंधडक्का	. .				
10. संजीत	. .				
11. कयामपुर	. .				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		
<b>22. जिला नीमच :</b>	मिलीमीटर	2	..	3.	..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जावद	..			4.(1)	..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. नीमच	..			(2)	..	चारा पर्याप्त.	
3. सिंगौली	..						
4. जीरन	..						
5. रामपुर	..						
6. मनासा	..						
<b>23.*जिला रतलाम :</b>	मिलीमीटर	2	..	3.	..	5. ..	7. ..
1. जावरा	..			4.(1)	..	6. ..	8. ..
2. आलोट	..			(2)	..		
3. सैलाना	..						
4. बाजना	..						
5. ताल	..						
6. रावटी	..						
7. पिपलोदा	..						
8. रतलाम	..						
<b>24. जिला उज्जैन :</b>	मिलीमीटर	2	..	3.	..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. खाचरौद	..			4. (1)	..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. महिदपुर	2.0			(2)	..	चारा पर्याप्त.	
3. तराना	14.0						
4. घटिया	..						
5. उज्जैन	..						
6. बड़नगर	..						
7. नागदा	..						
<b>25.*जिला आगर :</b>	मिलीमीटर	2.	..	3.	..	5. ..	7. ..
1. बड़ौद	..			4. (1)	..	6. ..	8. ..
2. सुसनेर	..			(2)	..		
3. नलखेड़ा	..						
4. आगर	..						
<b>26. जिला शाजापुर :</b>	मिलीमीटर	2.	..	3.	..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. मोमनबड़ौदिया	..			4.(1)	..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. शाजापुर	..			(2)	..	चारा पर्याप्त.	
3. शुजालपुर	..						
4. कालापीपल	..						
5. पोलाय कलां	..						
6. अबंतीपुर बड़ौदिया	..						
7. गुलाना	..						
<b>27. जिला देवास :</b>	मिलीमीटर	2.	..	3.	..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सोनकच्छ	..			4.(1)	..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. टोंकखुर्द	..			(2)	..	चारा पर्याप्त.	
3. देवास	..						
4. बागली	..						
5. कन्नोद	..						
6. हाटपिपल्या	..						
7. सतवास	..						
8. उदयनगर	..						
9. खातेगांव	..						

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>28. जिला झाबुआ :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. थांदला	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. मेघनगर	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. पेटलावद	..				
4. झाबुआ	..				
5. राणापुर	..				
<b>29. जिला अलीराजपुर :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जोवट	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. अलीराजपुर	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. कट्टीवाड़ा	..				
4. सोंडवा	..				
5. चन्द्रशेखर आ. नगर	..				
6. उदयगढ़	..				
7. भामरा	..				
<b>30. जिला धार :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई कार्य चालू है.	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बदनावर	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सरदारपुर	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. धार	..				
4. कुक्षी	..				
5. मनावर	..				
6. धरमपुरी	..				
7. गंधवानी	..				
8. डही	..				
<b>31. जिला इन्दौर :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. देपालपुर	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सांवेर	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. इन्दौर	..				
4. हातोद	..				
5. महु	..				
(डॉ. अम्बेडकर नगर)					
<b>32. जिला खरगौन :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बड़वाह	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. महेश्वर	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. सेगांव	..				
4. खरगौन	..				
5. गोगावां	..				
6. कसरावद	..				
7. भगवानपुरा	..				
8. भीकनगांव	..				
9. सनावद	..				
10. झिरन्या	..				
<b>33. जिला बड़वानी :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बड़वानी	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. ठीकरी	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. राजपुर	..				
4. सेंधवा	..				
5. पानसेमल	..				
6. पाटी	..				
7. अंजड	..				
8. बरला	..				
9. निवाली	..				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>34. जिला खण्डवा :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. खण्डवा	..		4. (1) मक्का, जायद कम.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पुनासा	..		मूँग, जायद अधिक.	चारा पर्याप्त.	
3. खालवा	..		(2) उपरोक्त फसलें समान हैं.		
4. पंधाना	..				
5. हरसूद	..				
<b>35. जिला बुरहानपुर :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बुरहानपुर	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खकनार	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. नेपानगर	..				
<b>36. जिला राजगढ़ :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. राजगढ़	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. जीरापुर	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. खिलचीपुर	..				
4. ब्यावरा	..				
5. सारंगपुर	..				
6. पचोर	..				
7. नरसिंहगढ़	..				
<b>37. जिला विदिशा :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. लटेरी	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सिरोंज	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. कुरवाई	..				
4. बासोदा	2.4				
5. नटेरन	0.5				
6. विदिशा	5.0				
7. गुलाबगंज	3.0				
8. समसाबाद	..				
9. त्योंदा	..				
10. पठारी	..				
11. ग्यारसपुर	20.0				
<b>38. जिला भोपाल :</b>	मिलीमीटर	2. गेहूँ चना की कटाई चालू है.	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बैरसिया	..		4. (1) गेहूँ कम. चना अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. बैरागड़	..		(2) उपरोक्त फसलें समान हैं.	चारा पर्याप्त.	
3. हुजूर	..				
<b>39. जिला सीहोर :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सीहोर	4.0		4. (1) गन्ना समान.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. आष्टा	..		(2) गन्ना समान हैं.	चारा पर्याप्त.	
3. इच्छावर	..				
4. नसरुल्लागंज	..				
5. रेहटी	..				
6. श्यामपुर	..				
7. जावर	..				
8. बुधनी	..				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>40. जिला रायसेन :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. रायसेन	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. गैरतगंज	3.0		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. बेगमगंज	1.0				
4. गोहरगंज	5.0				
5. बरेली	..				
6. सिलवानी	3.0				
7. बाड़ी	..				
8. सुल्तानपुर	..				
9. उदयपुरा	..				
<b>41. जिला बैतूल :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. अपर्याप्त.	7 पर्याप्त.
1. बैतूल	..		4 (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. भैंसदेही	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. घोड़ाडोंगरी	..				
4. शाहपुर	..				
5. चिचौली	..				
6. मुल्ताई	..				
7. आठनेर	..				
8. आमला	..				
<b>42.*जिला होशंगाबाद :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. . .	7. . .
1. होशंगाबाद	..		4 (1) ..	6. . .	8. . .
2. सिवनी मालवा	..				
3. बावई	..		(2) ..		
4. इटारसी	..				
5. सोहागपुर	..				
6. पिपरिया	..				
7. बनखेड़ी	..				
8. डोलरिया	..				
9. पचमढी	..				
<b>43. जिला हरदा :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. हरदा	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खिड़किया	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. सिराली	..				
4. रेहटगांव	..				
5. हॉडिया	..				
6. टिमरनी	..				
<b>44. जिला जबलपुर :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जबलपुर	5.3		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. कुण्डम	7.0		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. सीहोरा	13.0				
4. पाटन	..				
5. मझौली	0.6				
6. शाहपुरा	..				
7. पनागर	..				
<b>45. जिला कटनी :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बहोरीबंद	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. ढीमरखेड़ा	..			चारा पर्याप्त.	
3. रीठी	..		(2) ..		
4. बड़वारा	..				
5. मुड़वारा (कटनी)	..				
6. विजयराघवगढ़	..				
7. बरही	..				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>46. जिला नरसिंहपुर :</b>	मिलीमीटर	2. बोनी चालू है.	3. . . 4.(1) उड़द, जायद कम. मूँग अधिक. (2) . .	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. नरसिंहपुर	. .				
2. गोटेगांव	. .				
3. करेली	. .				
4. गाडरवारा	. .				
5. तेंदूखेड़ा	. .				
<b>47. जिला मण्डला :</b>	मिलीमीटर	2. . .	3. . . 4.(1) . . (2) . .	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. मण्डला	3.4				
2. मैनपुर	. .				
3. बिछिया	2.7				
4. निवास	. .				
5. नारायणगंज	. .				
6. घुघरी	13.2				
<b>48. जिला डिण्डोरी :</b>	मिलीमीटर	2. गेहूँ चना कटाई चालू है.	3. . . 4.(1) गेहूँ व चना कम. (2) उपरोक्त फसलें समान हैं.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. डिण्डोरी	1.3				
2. शाहपुरा	. .				
3. बजाग	29.0				
<b>49. जिला छिंदवाड़ा :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई कार्य चालू है.	3. . . 4. (1) . . (2) . .	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. छिंदवाड़ा	6.0				
2. तामिया	. .				
3. परासिया	2.0				
4. जूनारदेव (जामई)	2.8				
5. सोंसर	. .				
6. बिछुआ	. .				
7. अमरवाड़ा	17.6				
8. चौरई	. .				
9. उमरेठ	. .				
10. मोहखेड	. .				
11. हरई	14.2				
12. चांद	13.1				
13. पांढुर्णा	. .				
<b>50. जिला सिवनी :</b>	मिलीमीटर	2. . .	3. . . 4. (1) . . (2) . .	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सिवनी	. .				
2. बरघाट	. .				
3. कुरई	. .				
4. कवलारी	. .				
5. लखनादोन	. .				
6. छपारा	. .				
7. घनीरा	. .				
8. घंसोर	. .				
<b>51. जिला बालाघाट :</b>	मिलीमीटर	2. . .	3. . . 4.(1) धान रबी समान. (2) धान समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बालाघाट	. .				
2. लाँजी	. .				
3. किरनापुर	. .				
4. बैहर	. .				
5. वारासिवनी	. .				
6. कटंगी	. .				
7. लालबर्वा	. .				
8. तिरोडी	. .				
9. परसवाड़ा	. .				
10. बिरसा	. .				
11. खैरलाँजी	. .				

टीप:- जिला गुना, रतलाम, आगर एवं होशंगाबाद से पत्रक अप्राप्त रहे हैं.

आर. पी. भारती,  
संयुक्त आयुक्त,  
भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश.